न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः— श्री ए.एच गौरी , आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 18/2016

अनवान :—

श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर

प्रार्थी

—: बनाम :—

श्री मदनलाल पुत्र श्री रामचन्द्र मूण्ड जाति जाट(विक्रेता मालिक) मैसर्स न्यू चौधरी मावा भण्डार,गजनेर रोड़, भैसाबाड़ा, बीकानेर

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी पक्ष — श्री महमूद अली, खादय सुरक्षा अधिकारी,
2. अप्रार्थी पक्ष की ओर से — श्री जयदीप कुमार शर्मा अधिवक्ता

—: निर्णय :— दिनांक 25.02.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली, खादय सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 09.11.2015 को अप्रार्थी श्री मदनलाल पुत्र रामचन्द्र मूण्ड (विक्रेता मालिक) मैसर्स न्यु चौधरी मावा भण्डार, गजनेर रोड़, भैसावाड़ा, बीकानेर के यहां दुकान पर रखे लोहे के पीपे में करीब 10 किग्रा मावा आम जनता को विक्रय वास्ते रखा था। तदन्तर मिलावट होने का शक होने पर विक्रेता की सहमति से शुद्धता की जांच के लिये वास्ते नमूना जांच हेतु एक कि.ग्रा. मावा खरीदा। जिसकी कीमत 170/— रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम मावा को चार बराबर—बराबर बांटकर उसे चारों साफ सुखी एवं खाली बोतलों में डाला एवं प्रत्येक बोंतल में 20—20 बून्दे फॉर्मेलीन डालकर, इन चारों नमूना बोतलों को ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया तथा उस पर कोड़ एवं क्रमांक एबी— 617 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग को सील चपड़ी कर, फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

तथा स्वयं आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। उक्त एक सीलबन्द बोतल को मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 11.01.2016 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें मावा सबस्टेण्डर्ड का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड मावा का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीपक्ष की ओर से श्री जयदीप कुमार शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जबाब प्रस्तुत किया। तदन्तर दोनों पक्षों का कथन सुना गया।

3. प्रार्थी श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कथन किया कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से मावा का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में Milk Fat content of the finished product (on dry weight basis) Not less than 30.0 % की तुलना में 21.37 % पायी गई है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां मावा सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में समस्त बिन्दुओं को अस्वीकार कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जो मावा लिया जाता है उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं पाई जाती है परन्तु गायों में अलग–अलग तासिर होती है इसलिए कई गायों के मावा में फेट ज्यादा निकलता है तथा कईयों में कम निकलता है। इसलिए उक्त अपराध के लिए अप्रार्थी को दण्डित नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी द्वारा अपना लाईसेंस बता दिया परन्तु उन्होनें उक्त लाईसेंस अपने पास नहीं रखा ना ही उन्होनें कोई रूपये दिये और ना ही कोई दस्तावेज पढ़कर सुनाया ना ही बताया गया और ना ही कोई स्वतंत्र गवाह को बुलाया गया। चारों बोतलों में कुछ लगा हुआ था। कौनसे मावे की जांच करवाई गई तथा शीशियां भी साफ नहीं थी । अतः उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। जिस मावा का सेम्पल लिया गया था वह मावा अप्रार्थी की दुकान में पाया गया था । अप्रार्थी द्वारा उक्त मावा उत्पादन कर आम जनता को विक्रय करता है। पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur की रिपोर्ट क्रमांक L.S./3677/Act/2015/121 दिनांक 11.01.2016 संलग्न है। इस रिर्पोट के अनुसार अप्रार्थी के यहां पाया गया मावा Milk Fat content of the finished product (on dry weight basis) Not less than 30.0 % की तुलना में 21.37 % पाया गया है जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने से सब–स्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का मावा विकय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2)(ii) का उल्लंघन किया है । अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रूपये 50,000/– अखरे पचास हजार रूपये की शास्ति आरोपित करते है।

6. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमी की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 25.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर एवं अप्रार्थी पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) बीकानेर

(एच.गोरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा),बीकानेर

Scanned by CamScanner